भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *275
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

छात्रों के कल्याण के लिए प्रवासन समझौते

***275. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों और युवा पेशेवरों के कल्याण और उनकी सहायता के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे देशों की सूची क्या है जिनके साथ सरकार ने प्रवासन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और युवा पेशेवरों, कामगारों और छात्रों को इन समझौतों के फलस्वरूप होने वाले लाभ क्या हैं?

उत्तर

विदेश मंत्री
(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) एवं (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'छात्रों के कल्याण के लिए प्रवासन समझौते' के संबंध में 09.08.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 275 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों की सुरक्षा एवं कल्याण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र, विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले नए भारतीय छात्रों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी भी भारतीय छात्रों और भारतीय छात्र संघों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने के लिए अपने–अपने अधिकार क्षेत्र वाले देशों के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करते हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों को अपने यहां पंजीकृत कराने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय मिशन/केंद्र उनको नियमित आधार पर संपर्क में रहने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं तथा उनके समक्ष लंबित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। छात्रों और युवा पेशेवरों की शिकायतों का टेलीफोन कॉल, वॉक–इन, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, ओपन हाउस तथा 'मदद' पोर्टल के माध्यम से लगभग वास्तविक समय आधार पर समाधान किया जाता है। विदेशों में रह रहे भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों से प्राप्त किसी भी शिकायत को संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान तथा मेजबान सरकार के समक्ष उठाया जाता है, ताकि उनकी उपयुक्त जांच सुनिश्चित की जा सके और अपराधियों को दंड दिया जा सके। आपात स्थिति या संकट की स्थिति के दौरान, विदेश में भारतीय मिशन/केंद्र, संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय लोगों को भोजन, आश्रय, दवाइयाँ प्रदान करके सक्रिय रूप से सहायता करते हैं और जल्द से जल्द उनकी भारत वापसी/निकासी सुनिश्चित करते हैं। कुछ मिशनों/केंद्रों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए आश्रय गृह भी स्थापित किए गए हैं। संकटग्रस्त भारतीयों को, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन), ऑपरेशन कावेरी (सूडान) और ऑपरेशन अजय (इजराइल) के माध्यम से दुनिया भर के देशों से फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया। हमारे उच्चायोग द्वारा बांग्लादेश से भी कई भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों को भारत वापस लाया गया।

(ख) 2014 से अब तक जिन देशों के साथ प्रवासन एवं आवाजाही करारों तथा श्रमिक आवाजाही करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनकी सूची अनुबंध–क में दी गई है। भारत सरकार ने नियमित प्रवासन मार्गों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने हेतु विभिन्न देशों के साथ प्रवासन एवं आवाजाही भागीदारी, श्रमिक आवाजाही और श्रमिक कल्याण जैसे विविध समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन करारों/समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य लोगों के बीच आपसी संबंधों को सुदृढ़ करना, वीजा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनियमित प्रवासन से निपटना, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और कुशल श्रमिक आवाजाही को प्रोत्साहित करना है। प्रवासन एवं आवाजाही भागीदारी करारों में अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय छात्रों, युवा पेशेवरों आदि की विदेशों में आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु अध्ययन पश्चात विस्तारित प्रवास, अंतर–कॉर्पोरेट सेकेंडमेंट आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं। श्रमिक कल्याण एवं आवाजाही करारों में भारतीय कुशल कार्यबल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के साथ–साथ विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षोपाय और प्रावधान भी शामिल हैं।

अनुबंध क

2014 से अब तक हस्ताक्षरित प्रवासन एवं आवाजाही करार

क्र. सं.	निम्नलिखित देशों के साथ एमएमपीए पर हस्ताक्षर किए गए	हस्ताक्षर किए जाने की तारीख
1.	फ्रांस	10 मार्च 2018
2.	यूनाइटेड किंगडम	4 मई 2021
3.	जर्मनी	5 दिसंबर 2022
4.	ऑस्ट्रिया	13 मई 2023
5.	ऑस्ट्रेलिया	23 मई 2023
6.	इटली	2 नवंबर 2023
7.	डेनमार्क	22 फरवरी 2024

2014 से अब तक हस्ताक्षरित श्रमिक आवाजाही करार

क्र. सं.	निम्नलिखित देशों के साथ एलएमए पर हस्ताक्षर किए गए	हस्ताक्षर किए जाने की तारीख
1.	सऊदी अरब	3 अप्रैल 2016
2.	संयुक्त अरब अमीरात	11 फरवरी 2018
3.	जॉर्डन	1 मार्च 2018
4.	जापान	18 जनवरी 2021
5.	कुवैत	10 जून 2021
6.	पुर्तगाल	13 सितंबर 2021
7.	मॉरीशस	10 मई 2023
8.	इजराइल	3 नवंबर 2023
9.	ताइवान	16 फरवरी 2024
